अनुदान संख्या 4 - आयुष मंत्रालय
GRANT No. 4 - MINISTRY OF AYUSH

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	3050,00,00	3050,02,00	2663,30,16	-386,71,84
पूरक	Supplementary	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				366,24,77

टीका और टिप्पणियां / ***Notes and comments***

1. अनुदान में बचते/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :–

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2210"	Major Head "2210"				
चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	Medical and Public Health				
मू.	O.	214332.00	209710.97	208120.43	-1590.54
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	-4623.03			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	18197.00	..	..	..
पु.	R.	-18197.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	61000.00	48709.21	48709.19	-0.02
पु.	R.	-12290.79			
मुख्य शीर्ष "3602" विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	7000.00	5519.05	5519.04	-0.01
पु.	R.	-1480.95			

(I) ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत ₹18762.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा, जिसमें से ₹17032.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के तहत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध थे :–

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवायें – चिकित्सा की अन्य पद्धतियां – अन्य प्रणालियां राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनए एम)"– ₹7900.00 लाख।

(खा) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – अन्य प्रणालियां" –

(क) "पूर्वोत्तर आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान, शिलांग"– ₹6350.00 लाख; और

(I) Provision of ₹18762.00 lakhs remained wholly unutilised under eleven heads, of these ₹17032.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads:-

(A) "Urban Health Services - Other Systems of Medicines - Other Systems - National AYUSH Mission (NAM)" - ₹7900.00 lakhs;

(B) "Medical Education, Training and Research- Other Systems" -

(a) "North Eastern Institute of Ayurveda and Homoeopathy, Shillong" - ₹6350.00 lakhs; and

(ख) "पूर्वोत्तर आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान पासीघाट" – ₹2782.00 लाख।

(b) "North Eastern Institute of Ayurveda and Folk Medicine Research, Passighat" - ₹2782.00 lakhs.

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों को कार्यात्मक शीर्षों को पुनर्विनियोग किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above three heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "2210" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(II) Under Major Head "2210" - savings occurred under the following heads:-

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवायें – चिकित्सा की अन्य प्रणालियां – अन्य प्रणालियां – राष्ट्रीय आयुष मिशन (एन ए एम)" – ₹3413.18 लाख की बचत (₹ 4100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार शर्तों को पूरा नहीं करने के चलते राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कम निधिया जारी करने के कारण हुई।

(A) "Urban Health Services - Other Systems of Medicine - Other Systems - National AYUSH Mission (NAM)" - saving of ₹3413.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4100.00 lakhs) was due to release of less funds to States/UTs owing to non-fulfillment of conditions as per guidelines issued by the Ministry of Finance.

(खा) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान" –

(B) "Medical Education, Training and Research" -

(क) "अनुदान – राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को अनुदान" – ₹870.05 लाख की बचत दिसंबर, 2022 में प्राप्त ₹0.05 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹19149.05 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सामान्य अनुदान सहायता के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और संगोष्ठियों पर कम व्यय के कारण हुई।

(a) "Ayurveda - Grants to National Institute of Ayurveda, Jaipur" - saving of ₹870.05 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹19149.05 lakhs including token supplementary grant of ₹0.05 lakh obtained in December, 2022) was due to requirement of less funds towards Grants-in-aid General and less seminar expenses.

(ख) "होम्योपैथी – राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता को अनुदान" – ₹1827.06 लाख की बचत (दिसंबर, 2022 में प्राप्त ₹0.06 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹7874.06 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, निर्माण परियोजनाओं में देरी, और नरेला स्थित नए सेटेलाइट संस्थान को सौंपने में

(b) "Homoeopathy - Grants to National Institute of Homoeopathy, Kolkata" - saving of ₹1827.06 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹7874.06 lakhs including token supplementary of ₹0.06 lakh obtained in December, 2022) was due to non-filling up of vacant posts, delay in construction

देरी के कारण हुई।

(ग) "अन्य प्रणालियां" –

(i) "केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद" – ₹4262.06 लाख की बचत (दिसंबर, 2022 में प्राप्त ₹0.06 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹8524.06 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छह केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थानों (सीआरआईवाईएनएस) और दरभंगा और खजुराहो में दो नए संस्थानों को अनुमोदित नहीं किए जाने के कारण हुई।

(ii) "मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान को अनुदान" – ₹5000.06 लाख की बचत (दिसंबर, 2022 में प्राप्त ₹0.06 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹12400.06 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न संगठनों/विभागों से अनुमोदन लंबित रहने के कारण निर्माण परियोजनाओं में देरी होने के कारण हुई।

(iii) "चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना" – ₹5454.75 लाख की बचत (₹6022.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना को अनुमोदन मिलने में देरी और कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(iv) "आयुर्ज्ञान" – ₹612.48 लाख की बचत (₹1550.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने और उपयोग प्रमाण पत्र लंबित रहने के कारण हुई।

(v) "आयुर्स्वास्थ्य योजना" – ₹1684.10 लाख की बचत (₹2779.00 लाख के स्वीकृत

projects and delay in handing over the new satellite institute at Narela.

(c) "Other Systems" -

(i) "Grants to Central Council for Research in Yoga & Naturopathy" - saving of ₹4262.06 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹8524.06 lakhs including token supplementary of ₹0.06 lakh obtained in December, 2022) was due to non-approval of six Central Research Institutes in Yoga & Naturopathy (CRIYNs) including two new Institutes at Dibrugarh and Khujurao.

(ii) "Grants to Morarji Desai National Institute of Yoga" - saving of ₹5000.06 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹12400.06 lakhs including token supplementary of ₹0.06 lakh obtained in December, 2022) was due to delay in construction projects owing to pending approval from various organizations/ departments.

(iii) "Champion Services Sector Scheme" - saving of ₹5454.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6022.00 lakhs) was due to late approval of the scheme and receipt of less proposals.

(iv) "Ayurgyan" - saving of ₹612.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1550.00 lakhs) was due to receipt of less viable proposals and pending utilization certificates.

(v) "Ayurswasthya Yojana" - saving of ₹1684.10 lakhs (against the sanctioned

प्रावधान की तुलना में) उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण परियोजना स्टाफ के रूप में नही लगाये जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "3601" के अंतर्गत – "केंद्रीय प्रायोजित योजनायें"– बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(का) "केंद्रीय सहायता/हिस्सा – राष्ट्रीय आयुष मिशन (एन ए एम)" – ₹7277.10 लाख की बचत (₹47300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – राष्ट्रीय आयुष मिशन (एन ए एम)" – ₹2177.74 लाख की बचत (₹7600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – राष्ट्रीय आयुष मिशन (एन ए एम)" – ₹2835.97 लाख की बचत (₹6100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(IV) मुख्य शीर्ष "3602" – "केंद्रीय प्रायोजित योजनायें – केंद्रीय सहायता/हिस्सा – राष्ट्रीय आयुष मिशन (एन ए एम)" – ₹1480.96 लाख की बचत (₹7000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार शर्तों का पालन नहीं किए जाने के कारण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कम निधियां जारी किए जाने के कारण हुईं।

(V) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹934.87 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक किंतु ₹500.00 लाख से कम थीं और स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत और 19 प्रतिशत थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढाने के लिए आंशिक रूप से (₹12260.68 लाख) प्रयुक्त हो गईं, जैसा

provision of ₹2779.00 lakhs) was due to non-engagement as project staff owing to non-availability of suitable candidates.

(III) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Central Assistance/Share - National AYUSH Mission (NAM)" - saving of ₹7277.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹47300.00 lakhs);

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - National AYUSH Mission (NAM)" - saving of ₹2177.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7600.00 lakhs);

(C) "Tribal Area Sub-Plan - National AYUSH Mission (NAM)" - saving of ₹2835.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6100.00 lakhs); and

(IV) Under Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/ Share - National AYUSH Mission (NAM)" - saving of ₹1480.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7000.00 lakhs).

Savings under the above four heads were due to release of less funds to State Governments/ Union Territories owing to non-fulfillment of conditions as per guidelines issued by the Ministry of Finance.

(V) Under two heads saving of ₹934.87 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 11 percent and 19 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹12260.68 lakhs) utilized for augmenting the provision by

कि दिसंबर, 2022 और मार्च, 2023 में मुख्य शीर्ष "2210" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवायें – अन्य चिकित्सा प्रणालियां– निर्देशन और प्रशासन" –

(क) "सूचना, शिक्षा और संचार" – ₹1352.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹771.83 लाख हुआ।

(ख) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संवर्धन" – ₹5302.18 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹5258.68 लाख हुआ।

(खा) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान" –

(क) आयुर्वेद – आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान" – ₹3681.00 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹3680.44 लाख हुआ।

(ख) "सिद्ध–राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई को अनुदान" – ₹544.00 लाख।

(ग) "अन्य प्रणालियां – राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे को अनुदान" – ₹1381.50 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹1381.45 लाख हुआ।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2210" – "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – अन्य प्रणालियां" – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुए अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं।

(का) "पूर्वोत्तर आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान, शिलांग"– ₹3825.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में); और

re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs in December, 2022 and March, 2023 under Major Head "2210" - under the following heads:-

(A) "Urban Health Services - Other Systems of Medicine - Direction and Administration" -

(a) "Expenditure on Information, Education & Communication" - ₹1352.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹771.83 lakhs.

(b) "Promotion of International Cooperation" - ₹5302.18 lakhs. Actual excess, however, was ₹5258.68 lakhs.

(B) "Medical Education, Training and Research" -

(a) "Ayurveda - Institute of Teaching & Research in Ayurveda" - ₹3681.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹3680.44 lakhs.

(b) "Siddha - Grant to National Institute of Siddha, Chennai" - ₹544.00 lakhs.

(c) "Other Systems - Grants to National Institute of Naturopathy, Pune" - ₹1381.50 lakhs. Actual excess, however, was ₹1381.45 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Heads "2210" - "Medical Education, Training and Research - Other Systems" - under the following heads:-

(A) "North Eastern Institute of Ayurveda & Homoeopathy, Shillong" - excess of ₹3825.00 lakhs (against nil provision); and

(खा) "पूर्वोत्तर आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, पासीघाट" – ₹1581.50 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रवाधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को पुनर्विनियोग के कारण हुआ।

(B) "North Eastern Institute of Ayurveda and Folk Medicine Research, Passighat" - excess of ₹1581.50 lakhs (against nil provision).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.